तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामहेत बनाम जयसिंह** **अपील संख्याः–46/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/232)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा दिनांक 03.03.2022 को आवंटन नियमों की पालना किये बिना ही आराजी खसरा नम्बर 591 रकबा 5.8000 हैक्टयर किस्म बंजड़वाके ग्राम घाटडा तहसील टहला जिला अलवर में से रकबा 0.40 भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है जबकि उक्त भूमि मौके पर खाली नही है बल्कि अपीलान्टान के बुजुर्गो के समय से रिहायशी मकानात बने हुए है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त विधि विरूद्ध आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है किन्तु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 21.03.2023 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका है। इसलिये अपीलान्ट अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर/आवंटन/2021–22/4369 दिनांक 03.03.2022 को निरस्त कराने हेतु अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 21.03.2033 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के आदेश क्रमांक एल.आर/आवंटन/2021–22/4369 दिनांक 03.03.2022 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है जिसे अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल द्फतर हो। आदेश सुनाया गया। **(असलम शेर खान)** अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर।	